



# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 167

15 मार्च, 1923 शकान्त

रांची, सोमवार 6 अगस्त, 2001

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

4 अप्रैल, 2001

संख्या-7 प्र० ई० पु०-704/2001-945—बिहार पुनर्गठन अधिनियम की धारा 85 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, बिहार जिला अधिनियम, 1992 को निम्नवत् यथा संशोधित रूप में अंगीकृत करते हैं :—

1. यह अधिनियम झारखण्ड जिला अधिनियम, 2001 कहलायेगा ।
2. उक्त अधिनियम में बिहार शब्द के स्थान पर "झारखण्ड" शब्द पढ़ा जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,  
एस० के० चौधरी,  
सरकार के सचिव ।

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय झारखण्ड, रांची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।  
झारखण्ड गजट (असाधारण) 167—300 + 200—अति मुद्रण ।